न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– शुचि त्यागी, आई.ए.एस., जिला कलक्टर धौलपुर
मुकदमा नम्बर :– 44/2017

राजस्थान सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, धौलपुर ———— प्रार्थी।

बनाम

1. मैसर्स प्रान्सी डेयरी C/O डेयरीमैन प्रोड्यूसर को. लिमिटेड, एफ–111 रीको ग्रोथ सेन्टर, औडेला रोड धौलपुर
2. नरेश पुत्र श्री रामहेत जाति ठाकुर निवासी ग्राम वरेह मोरी पंचायत सादिकपुर तहसील धौलपुर, कार्यकर्ता, प्रयोगशाला प्रान्सी डेयरी————अप्रार्थीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थिति :–
प्रार्थी की ओर से :– श्री अनुभव पाराशर, सहायक लोक अभियोजक (प्रथम)।

निर्णय दिनांकः– 13.11.2017

निर्णय

प्रवर्तन निरीक्षक धौलपुर ने एक प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का प्रस्तुत किया कि दिनॉक 30.06.2017 को जिला रसद अधिकारी धौलपुर के आदेशानुसार प्रार्थी एंव मोहनलाल देव, प्रवर्तन अधिकारी, घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक कार्य में उपयोग कर गैस के दुरूपयोग किये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर मैसर्स प्रान्सी डेयरी C/O डेयरीमैन प्रोड्यूसर को. लिमिटेड, एफ–111 रीको ग्रोथ सेन्टर, औडेला रोड धौलपुर पर पहुचे। मौके पर नरेश पुत्र रामहेत जाति ठाकुर निवासी ग्राम वरेह मोरी पंचायत सादिकपुर तहसील धौलपुर, कार्यकर्ता, प्रयोगशाला प्रान्सी डेयरी, उपस्थित मिले। जिनकी उपस्थिति में प्रयोगशाला एंव परिसर की जांच की गई। प्रयोगशाला में एक घरेलू गैस सिलेण्डर एच.पी.सी.एल, एस.आर. नं0 171998, आर.एम. सेट से प्लास्टिक की पाईप से कनेक्टैड मिला। मौके पर प्रयोगशाला कार्यकर्ता ने प्रयोगशाला में गैस आर.एम. सेट के जरिये दूध से रिफाइण्ड की जांच करना बताया। इस प्रकार घरेलू गैस का व्यावसायिक कार्य में उपयोग किया जाना पाया गया। प्रयोगशाला में 2 घरेलू गैस सिलेण्डर पाये गये जिनके बाबत मौके पर प्रयोगशाला कार्यकर्ता द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नही दिया गया और ना ही गैस सिलेण्डर से सम्बन्धित कोई दस्तावेज पेश किये। मौके पर पाये गये घरेलू गैस सिलेण्डर 1 एचपीसीएल व 2 बीपीसीएल को मय गैस, एक

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

रेग्यूलेटर एंव रबर पाईप के जब्त कर तौल करवाया गया एंव सुरक्षा की दृष्टि से शिवेन गैस सर्विस धौलपुर एचपीसीएल के कार्यकर्ता दशरथसिंह की सुपुर्दगी में दिया गया। इस प्रकार घरेलू गैस सिलेण्डरो का व्यवसायिक कार्य में उपयोग कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लघंन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः 3 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी 31.450 किलोग्राम एंव एक रेग्यूलेटर व रबर पाईप को राजसात किया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया कि उन्हे इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो असालतन व वकालतन न्यायालय में आकर पेश करे।

अप्रार्थीगण नम्बर 01 व 02 वाबजूद तामील स्वंय अथवा जरिये अभिभाषक उपस्थित नहीं हुए। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व दिनॉक 10.10.2017 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र के समर्थन में फर्द मौका एवं फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा प्रमाणित फोटो प्रति पेश की गयी।

प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान सहायक लोक अभियोजक (प्रथम) ने अपनी बहस के दौरान कहा कि अप्रार्थीगण ने घरेलू गैस का, व्यावसायिक कार्य में उपयोग कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लघंन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। 3 घरेलू गैस सिलेण्डर (1 एचपीसीएल व 2 बीपीसीएल) मय एलपीजी 31.450 किलोग्राम एंव एक रेग्यूलेटर व रबर पाईप को राजसात किया जावें।

विद्वान सहायक लोक अभियोजक (प्रथम) की एक पक्षीय बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने के पश्चात हम विद्वान सहायक लोक अभियोजक (प्रथम) के इस कथन से सहमत है कि अप्रार्थीगण ने घरेलू गैस का, व्यावसायिक कार्य में उपयोग कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लघंन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जप्त शुदा 3 घरेलू गैस सिलेण्डर (1 एचपीसीएल व 2 बीपीसीएल) मय एलपीजी 31.450 किलोग्राम एंव एक रेग्यूलेटर व रबर पाईप को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है।

खाद्य विभाग जयपुर से प्राप्त परिपत्र दिनांक 19.8.2000 एवं 20.10.2000 के अनुसार 6ए के तहत न्यायालय से राजसात किये गये वे सभी गैस सिलेण्डर/रेग्यूलेटर जो जब्त पडे हैं तथा उनका निस्तारण नहीं हुआ है तथा जिनका पुनः उपयोग बिना

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
धौलपुर

ऑयल कम्पनी की सहमति एवं निरीक्षण के करना सुरक्षा की दृष्टि से उचित नही है। ऐसे सभी सिलेण्डर/रेग्यूलेटर जो जब्त या राजसात किये गये हैं को सुरक्षा कारणों से निस्तारण हेतु ऑयल कम्पनी को वापस लौटा दिया जावे। गैस सिलेण्डर/रेग्यूलेटर ऑयल कम्पनी की सम्पत्ति है इसे खुले बाजार में नीलामी में नहीं बेचा जा सकता। अतः निस्तारण हेतु इन्हें ऑयल कम्पनी को सुपुर्द किया जावे। न्यायालय के निर्णय उपरान्त निस्तारण की दृष्टि से जो भी उपाय होते हैं, वह सम्बन्धित ऑयल कम्पनी ही करेगी। इस हेतु ऑयल कम्पनी से कोई राशि वसूल नहीं की जानी है। परन्तु ऑयल कम्पनी को उक्त सिलेण्डर से जो धन राशि प्राप्त होगी वह धनराशि ऑयल कम्पनी राजकोष में जमा करायेगी। जिला रसद अधिकारी धौलपुर को आदेश दिये जाते है कि वह जब्त शुदा माल का नियमानुसार निस्तारण करावें। निर्णय की प्रतिलिपि वास्ते पालना हेतु जिला रसद अधिकारी धौलपुर को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर, धौलपुर